

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) to (d). A list of drug manufacturing companies with more than 26 per cent foreign equity who are manufacturing non-drug items also, is attached. Many of these firms have been manufacturing non-drug items even prior to the enforcement of Drugs (Prices Control) Order, 1970. Under the Drugs (Price Control) Order, 1970, the companies are required to maintain separate accounts in respect of their drug manufacturing activity. Plant and equipment used for manufacturing various drugs is not always separate. It is, therefore, not proposed to ask the companies to maintain separate accounts for each drug.

STATEMENT

1. Alkali & Chemical Corporation of India Ltd.
2. Beecham Ltd.
3. Bayer India Ltd
4. Boots Company Ltd.
5. Burroughs Wellcome & Co. Ltd.
6. Ciba of India Ltd.
7. Cibatul Ltd.
8. Cyanamid Ltd.
9. Duphar Interfran Ltd.
10. E. Merck Ltd
11. Geoffrey Manners & Co. Ltd.
12. Glaxo Laboratories Ltd.
13. Hoechst Pharmaceuticals Ltd.
14. Johnson & Johnson Ltd.
15. May and Baker Ltd.
16. Mc Gaw Ravindra Ltd.
17. Pfizer Ltd.
18. Rallis India Ltd.
19. Reckitt & Colman of India Ltd.
20. Richards on Hindustan Ltd.

21. Sandoz India Ltd.
22. Smith & Nephew Ltd.
23. Subrid Geigy Ltd.
24. Tata Fison Ltd.
25. Warner Hindustan Ltd.
26. Anglo Thai Corporation Ltd.
27. Chesebrough Ponds Inc.
28. Dental Products of India Ltd.

दिल्ली में कुर्कियम वॉश उपभोगकर्ताओं के लिये कोयले तथा मिट्टी के तेल की मात्रा में कमी

2606. श्री राजू भास बन्नी तिवारी : क्या वैद्वी-लिविंग और रसायन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजधानी में गैस का प्रयोग करने वालों के कोयले तथा मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिया गया है ,

(ख) यदि हा, तो हम बारे में मोटी रूपरेखा क्या है , और

(ग) गैस का प्रयोग करने वाले तथा अन्य लोगों को प्रलग-प्रलग मिट्टी के तेल का कितना कोटा मिलेगा ?

वेद्वी-लिविंग और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री साहू नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

2607. श्री गंगा चरण बीमित्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में कितने नैमित्तिक श्रमिक काम करने हैं , और

(ख) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को नियमित बनाने का है और यदि हा, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुहृन्मव शर्मा कुरेशी) : (क) 31-3-1973 को 52918 थी।

(ख) जांच समितियों द्वारा जो नैमित्तिक श्रमिक उपयुक्त पाये जाने हैं उन्हें नियमित पदों पर लपाने के बारे में जैसे जैसे रिक्तियां होती हैं पहले से ही विचार